

विज्ञापन

21/2
2019

पन्हावली आज प्रस्तुत हुई।
आवाज दिलायी गयी। प्रवेगि
कर्म अथवा उन्मयेवपीए
अनुपस्थित।

बार-बार कर्म-कवचा
आवाजे लगायी गयी कर्म
प्रवेगि अथवा उन्मयेवपीए
अस्थित नही आये।

अतः प्रवेगि का प्रवेगि
पत्र अन्तर्गत धारा 2125 प्रवेगि
माहवारी अधिनियम 1955
अथवा प्रवे अथवा राजकी
में स्पष्टिज दिया जाता है।

पन्हावली प्रमल शुमार व
जम्बर से कम हैकर मुहाशयक
वाइ संवेद्य 14/2018 मनीष
वर्गीय वेनाम लाल राम

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
दिल्ली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कॉश अन्तर्गत धराश 88,
53, 188 काजस्वरान काइस्वारी
अधिनिष्पन्न 1955 मे काज
बालक हो।

निर्णय मय इज लस
सुजाया जाया।

AN
(~~इन्वीन्ट्रुक्सा~~)

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा